

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 127/2024

दायर दिनांक-10.07.2024

1. बिमला देवी पुत्री श्री फूला जाति अहीर निवासी भाकरियो की ढाणी तन बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू (राज०) मोबाईल नम्बर 91169052213

- आवेदिका

- :: बनाम ::-

1. फूला पुत्र स्व० श्री जोधा
2. बाबूलाल पुत्र श्री फूला
3. सांवरमल यादव पुत्र श्री फूला
4. परमेश्वरी देवी पत्नी सांवरमल यादव
5. सुबिता देवी पत्नी बाबूलाल यादव जाति अहीर निवासीगण भाकरियो की ढाणी तन बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू (राज०)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू (राज०)

-अनावेदकगण

वकील आवेदक :- श्री विजेन्द्र सिंह दूत
वकील अनावेदकगण :- श्री अमर सिंह शेखावत

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

-:: आदेश ::-

दिनांक 16.07.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :-
राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में नया खाता संख्या 227 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1428/869 रकबा 0.5500 हैक्टर व खाता संख्या 681 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1539/831 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं खाता संख्या 699 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 1.0300 हैक्टर तीनों खातों की भूमि का कुल रकबा 2.5300 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 82 व 82 मी. तादादी 11 बीघा 6 विश्वा पुख्ता स्थित है। उक्त कृषि भूमि आवेदिका व अनावेदकगण नं० 1 लगायत 3 के पूर्वज जोधा पुत्र खमाण की खातेदारी व कब्जे काशत की रही है, जिसके संबंध में आवेदिका उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रही है, जिसको प्रार्थना-पत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदिका व अनावेदकगण नं० 1 लगायत 3 को उनके पूर्वजों से प्राप्त की गई पत्रिक सम्पत्ति है तथा आवेदिका व अनावेदकगण नं० 1 लगायत 3 स्व० जोधापुत्र खमाण के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है, जिनका स्व० जोधा की खातेदारी व कब्जे काशत की प्रश्नगत कृषि भूमि में जन्मजात हक हिस्सा व अधिकार है। इसलिये उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदिका का हिस्सा 1/4 है और अनावेदकगण नं० 1 लगायत 3 का भी बराबर-बराबर हिस्सा 1/4, 1/4 है।

अनावेदक नं० 1 आवेदिका व अनावेदकगण नं० 2 व 3 का पिता है तथा इसी प्रकार से प्रश्नगत कृषि भूमि पर आवेदिका व अनावेदकगण नं० 1 लगायत 3 हिस्से अनुसार काबिज व आबाद है और उपयोग उपभोग करते हैं अर्थात् आवेदिका प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा 1/4 की हिस्सेदार व खातेदार है और कब्जा काशत है, लेकिन अनावेदक नं० 1 की वृद्धावस्था व कमजोर समझ का नाजायज फायदे उठाकर अनावेदकगण नं० 2 लगायत 5 ने गलत व विधि विरुद्ध तरीके से खाता संख्या 681 की भूमि खसरा नम्बर 1539/831 रकबा 0.9500 हैक्टर का विक्रय-पत्र अनावेदकगण नं० 3 लगायत 5 के नाम एवं खाता संख्या

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

699 की भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 1.0300 हैक्टर का विक्रय-पत्र अनावेदकण नं० 4 व 5 के नाम पंजिबद्ध करवाया है। उक्त विक्रय-पत्रों की केवल फोरमल कागजी कार्यवाही आवेदिका को उसके कानूनी हक अधिकारों की पैत्रिक प्रश्नगत कृषि भूमि से महरूम करने की मंशा से की गई है, जिसके मुताबिक ना तो प्रतिफल राशि का आदान-प्रदान हुआ है और ना ही प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा संभलाया गया है और ना ही अनावेदक नं० 1 को प्रश्नगत कृषि भूमि विक्रय करने की कोई आवश्यकता थी तथा ओर तो ओर अनावेदक नं० 1 को प्रश्नगत पैत्रिक कृषि भूमि में अपना हिस्सा 1/4 से ज्यादा भूमि किसी के पक्ष में हस्तान्तरण करने का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिये पैत्रिक प्रश्नगत कृषि भूमि का विक्रय-पत्र अनावेदक नं० 1 को अनावेदकण नं० 3 लगायत 5 के पक्ष में पंजिबद्ध करवाने एवं अनावेदकण नं० 3 लगायत 5 को अपने पक्ष में विक्रय-पत्र करवाने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक आवेदिका का पैत्रिक प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा 1/4 है, जिसकी खातेदारी घोषित करवाने का आवेदिका को कानूनी हक प्राप्त है तथा प्रश्नगत पैत्रिक कृषि भूमि के संबंध में आवेदिका को उसके हिस्से की भूमि से वंचित करने की मंशा से अनावेदकण नं० 3 लगायत 5 के पक्ष में तस्दीक करवाये गये विक्रय-पत्र गलत व विधि विरुद्ध है और आवेदिका के हक अधिकारों के विरुद्ध एबिनिसियो वोइड एवं अवैध है। इस प्रकार के विक्रय-पत्रों का कानूनी लिहाज से कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इनके आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरण भी भरा जा चुका है और जिससे राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो रहा है, इसलिये उक्त तथाकथित विक्रय-पत्र व उसके आधार पर भरे गये नामान्तरण शून्य दस्तावेजात है और आवेदिका के अधिकारों के विरुद्ध एबिनिसियो वोइड होने से निरस्त व बेअसर घोषित किया जाना न्याय संगत है तथा आवेदिका को प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और अनावेदकण नं० 1 लगायत 3 को 3/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड सही व दुरुस्त किया जावे, जिसके लिये वाद-पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया है।

आवेदिका के कानूनी हक अधिकार की पैत्रिक प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में उनको वंचित करने की बदनियति से उक्त तथाकथित विक्रय-पत्र बिना कानूनी अधिकार के करवाये गये हैं, जिसके आधार पर किसी को कोई राईट पैदा नहीं होते हैं और ना ही किसी के राईट समाप्त होते हैं, लेकिन गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज हो जाने से आवेदिका के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उसके अधिकार प्रभावित हुये हैं, जिनकी रक्षा बाबत आवेदिका को उक्त वाद-पत्रधार्थना-पत्रपेश किया जाना जरूरी हुआ है, जिसके अनुसार आवेदिका को सम्पूर्ण प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा अनावेदकण नं० 1 लगायत 3 को भी बराबर-बराबर 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, इसी प्रकार से खातेदारी घोषित की जाकर हिस्से अनुसार सही माप-जोख करके विधिवत रूप से खाता विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा विधिवत विभाजन के अनुसार आवेदिका को 1/4 हिस्से की भूमि अलग सम्भलाई जाकर खातेदारी दर्ज की जावे। इसी प्रकार से अनावेदकण नं० 1 लगायत 3 के पक्ष में भी हिस्सा 1/4, 1/4 के अनुसार विभाजन किया जावे और अनावेदकण नं० 4 व 5 का नाम हजफ किया जावे, जिसके लिये आवेदिका की तरफ से विधिवत विभाजन का वाद-पत्र भी पेश किया गया है।

अनावेदकण गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में आवेदिका को उसके 1/4 हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व अवरोध पैदा करते हैं तथा आवेदिका को प्रश्नगत कृषि भूमि से बेदखल करके जबरन गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में कब्जा करने के लिये आमादा है और प्रश्नगत कृषि भूमि से आवेदिका को स्थाई रूप से महरूम करने की गलत मंशा से ऊंचे दामों में विक्रय करने की बार-बार धमकी दे रहे हैं, इस कारण अनावेदकण प्रश्नगत कृषि भूमि से पेड़-पौधे काटकर व मिट्टी खोदकर एवं अकृषि उपयोग करके खुर्द-बुर्द व वेस्ट एण्ड डेमेज करने की कुचेष्टा में लगे हुये हैं, जिनको कानूनी रूप से कोई राईट नहीं है, हालांकि आवेदिका ग्रामीण परिवेश की गरीब महिला है, जिनको प्रश्नगत कृषि भूमि के तथाकथित गलत व विधि विरुद्ध विक्रय-पत्र करवाना एवं उसके आधार पर गलत तरीके से नामान्तरण भरे जाना आदि व गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होने बाबत पहले कोई जानकारी नहीं

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

थी, लेकिन दिनांक 13-06-2024 को अनावेदकगण ने आवेदिका को धमकी दी है कि प्रश्नगत कृषि भूमि के विक्रय-पत्र अनावेदक नं० 1 से करवाकर नामान्तरण भरवा लिये है, इसलिये आप आवेदिका को बेदखल करके जबरन कब्जा करेगे और भूमि काशत नहीं करने देगे तब वादिया ने दिनांक 28-06-2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होने का प्रथम बार पता चला है, अनावेदकगण आवेदिका के विरुद्ध गलत कार्यवाही करने में लगे हुये है, जिसको रोकने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी है।

अनावेदकगण अपनी गलत व नाजायज मंशा मे सफल हो गये तो आवेदिका को कई प्रकार के प्रगरण दायर करने पड़ेगे, जिसमे समय व धन की बर्बादी होगी और अपार क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदिका की पैत्रिक सम्पति होने से उनका कानूनी हक अधिकार है और काबिज व आबाद है, इसलिये आवेदिका का प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदिका के पक्ष में ज्यादा है, इस कारण आवेदिका का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि खाता संख्या 227 की खसरा नम्बर 1428/869 रकबा 0.5500 हैक्टर व खाता संख्या 681 की खसरा नम्बर 1539/831 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं खाता संख्या 699 की खसरा नम्बर 877 रकबा 1.0300 हैक्टर उक्त तीनों खातों की भूमि का कुल रकबा 2.5300 हैक्टर में आवेदिका के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काशत व उपयोग उपभोग मे कोई बाधा पैदा नहीं करे तथा पेड़-पौधे काटकर व मिट्टी खोदकर भूमि वेस्ट डेमेज नहीं करे और गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ मे जबरन आवेदिका को बेदखल करके कब्जा नहीं करे तथा इस आशय से भी पाबन्द किया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे और ना ही विक्रय-पत्र व अन्य दस्तावेज तस्दीक करवाये तथा कोई भी गलत व विधि विरुद्ध कार्यवाही नहीं करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 04 व 05 की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस प्रकार पेश किया कि :- प्रार्थना-पत्र की धारा 02 जिस तरह से दर्ज है पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। खाता सं० नया-227 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1428/869 रकबा 0.5500 हैक्टर व खाता सं० नया-681 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1539/831 रकबा 0.9500 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 699 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 877 रकबा 1.0300 हैक्टर कुल रकबा 2.5300 हैक्टर भूमि ग्राम बसावा की सरहद में अवस्थित भूमि को जवाब देहन्दा ने बाजार मूल्य तैय करने के पश्चात् जवाब देहन्दा ने अपने सोने-चांदी के गहने बेचकर आवेदिका तथा अनावेदक सं० 01 को हाल चलन रूपये अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की है इस प्रकार उपरोक्त भूमि जवाब देहन्दा की स्व अर्जित सम्पति की भूमि है जिसका वैद्य प्रतिफल आवेदिका के द्वारा अपने 1/4 हिस्से का प्र०सं० 01 से प्राप्त करने के पश्चात् जवाब देहन्दा के पक्ष में अनावेदक सं० 01 ने आवेदिका की सहमति से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जिसकी पूर्ण जानकारी आवेदिका को होने के कारण से आवेदिका का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं होने के कारण से खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना-पत्र की धारा 03 जिस तरह से दर्ज है पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। यह कहना सही है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि स्व० जोधा की खातेदारी में चली आ रही थी परन्तु अनावेदक सं० 01 को गम्भीर असाध्य रोग केन्सर होने के पश्चात् भविष्य में परिवार के सदस्य पुत्रों तथा पुत्रियों के मध्य भूमि ख०नं० 1428/869 रकबा 0.5500 हैक्टर व खाता सं० नया-681 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1539/831 रकबा 0.9500 हैक्टर तथा खाता संख्या नया-699 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 877 रकबा 1.0300 हैक्टर कुल रकबा 2.5300 हैक्टर भूमि को लेकर वाद विवाद नहीं हो इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि पर बाजार मूल्य कीमत तैय करने के पश्चात् जवाब देहन्दा ने सम्पूर्ण कीमत अदा करने के पश्चात् आवेदिका को 1/4

ए. सी. ई. एम्. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

हिस्से की भूमि के 10.00 लाख रुपये आवेदिका ने जरिये चौक सं० 585574 प्राप्त करने के पश्चात् जवाब देहन्दा ने अनावेदक सं० 01 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि कय की जिसकी आवेदिका को पूर्ण 5 जानकारी होने के साथ-साथ अपने 1/4 हिस्से की भूमि की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने के बाद लालच से प्रेरित होकर गलत तथ्यों का उल्लेख कर गलत तरीके से वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यह कहना भी गलत है कि अनावेदक सं० 01 की वृद्धावस्था होने का फायदा उठाया है बल्कि आवेदिका अनावेदक सं० 01 की सगी पुत्री होने के नाते अपने वैध हिस्से की सम्पूर्ण राशि जरिये चौक से प्राप्त करने के पश्चात् गलत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर मिसाल कायम की है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में एक उदाहण के तौर पर भविष्य में हिन्दू शामलाती परिवार के तौर पर हमेशा याद किया जावेगा। यह कहना भी कतई गलत है कि जवाब देहन्दा ने केवल फॉर्मल कागजी कार्यवाही कर विक्रय पत्र तस्दिद करवाया हो बल्कि अनावेदक सं० 01 को बाजार मूल्य तैय करने के पश्चात् सम्पूर्ण कीमत अदा करने के बाद आवेदिका ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि की राशि प्राप्त करने के पश्चात् अनावेदक सं० 01 से जवाब देहन्दा ने विक्रय पत्र अपने पक्ष में तस्दिद करवाया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वाद/विवाद नहीं हो। जवाब देहन्दा ने अपने सोने-चांदी के गहने को बेचकर अनावेदक सं० 01 को वादग्रस्त भूमि की कीमत अदा करने के पश्चात् सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर जवाब देहन्दा ने अपना कब्जा प्राप्त किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत आवेदिका ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि का वैध प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी प्रकार से हक/हकूक तथा अधिकार वादग्रस्त भूमि में नहीं होने के साथ-साथ जवाब देहन्दा की स्व अर्जित सम्पत्ति की भूमि होने के कारण से आवेदिका का जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध ँ सरोकार नहीं है, विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया नामान्तरण वैध है, इसलिए आवेदिका उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का प्रतिफल प्राप्त करने के कारण से प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं होने के कारण से खारिज फरमाया जावे। वाद पत्र की धारा-04 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। आवेदिका ने बदनियति पूर्वक अपने 1/4 हिस्से की भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात् गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वैध प्रतिफल प्राप्त करने के कारण से आवेदिका का कानूनन वाद ग्रस्त भूमि में हक/हकूक तथा हिस्सा नहीं होने के कारण से आवेदिका खातेदार काश्तगार घोषित करवाने की अधिकारीणी नहीं होने के कारण से आवेदिका का प्रार्थना पत्र का मेन्टेबल नहीं होने के कारण से खारिज फरमाया जावे। वाद-पत्र की धारा 05 जिस तरह से दर्ज की गई है अस्वीकार है। ना तो कभी वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का कब्जा काश्त रहा है, ना ही वर्तमान में है इसलिए उपभोग-उपयोग में बाधा उत्पन्न होने, अवरोध पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, यह कहना भी गलत है कि गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में कब्जा करना चाहते हैं बल्कि जवाब देहन्दा ने वैध प्रतिफल अदा कर अनावेदक सं० 01 से वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र तस्दिद करवाने के पश्चात् आवेदिका ने जरिये चौक अपने 1/4 हिस्से की भूमि का प्रतिफल प्राप्त करने के कारण से आवेदिका को कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं होने के कारण से आवेदिका का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कहना भी कतई गलत है कि आवेदिका को गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी बल्कि आवेदिका ने अपने वैध 1/4 हिस्से की भूमि का प्रतिफल 10.00 लाख रुपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में उक्त तथ्य का प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं करने के कारण से प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं है। यह कहना भी कतई गलत है कि दिनांक 13.06.2024 को किसी प्रकार की धमकी दी हो आदि तमाम तथ्य गलत, बेबुनियाद, झुठे दर्ज कर जवाब देहन्दा से रुपये हड़पने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 06 जिस तरह से दर्ज की गई है अस्वीकार है। आवेदिका ने अपने वैध 1/4 हिस्से की भूमि का प्रतिफल 10.00 लाख रुपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में उक्त तथ्य का प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं करने के कारण से प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं है। यह कहना भी कतई गलत है कि आवेदिका को अपूर्णीय क्षति हो रही है, धन की बर्बादी हो रही है बल्कि जवाब देहन्दा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अवैध रूप से वसूली करने के उद्देश्य से आवेदिका ने उपरोक्त अनुवानी वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है, ना तो आवेदिका का मौके पर कब्जा है, ना ही आवेदिका का प्रथम दृष्टया मामला है, ना ही आवेदिका के पक्ष में सुविधा का संतुलन है,

ए. सा. इ. एम। (फा. ट्.)
नवलगढ

ना ही आवेदिका का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार से हक/हकूक तथा अधिकार निहित है इसलिए आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः जबाब प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब देहन्दा के द्वारा वादग्रस्त भूमि का बाजार मूल्य अनावेदक सं० 01 को अदा करने के पश्चात् आवेदिका के द्वारा अपने वैद्य 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिफल प्र०सं० 01 से प्राप्त करने के पश्चात् जवाब देहन्दा ने वैद्य विक्रय पत्र तस्दिक करवाया है इसलिए जवाब देहन्दा की स्वअर्जित सम्पत्ति होने के साथ-साथ कब्जा काश्त के अभाव में आवेदिका का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :- दोनों बिन्दुओं का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 227 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1428/869 रकबा 0.5500 हैक्टर व खाता संख्या 681 की खसरा नम्बर 1539/831 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं खाता संख्या 699 की खसरा नम्बर 877 रकबा 1.0300 हैक्टर भूमि शामिल तथा पैतृक संपत्ति है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भूमि पैतृक होना साबित है जिसमें आवेदिका का हक हिस्सा तय होना है। जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकॉर्डेड काश्तकार के विरुद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अगर उक्त पैतृक आराजी खुर्द बुर्द हो जाती है तो वाद बहुलता होगी तथा आवेदिका को अपूरणीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदिका के पक्ष में है।
अपूरणीय क्षति :- उपरोक्त दोनों बिन्दु आवेदिका के पक्ष में होने से तथा विवादग्रस्त भूमि आवेदिका के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदिका के पक्ष में है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 227 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1428/869 रकबा 0.5500 हैक्टर व खाता संख्या 681 की खसरा नम्बर 1539/831 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं खाता संख्या 699 की खसरा नम्बर 877 रकबा 1.0300 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 10.07.2024 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार सैनी)
सहायक कमिश्नर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़